संख्या: 30 / 2026 /858/ सत्रह-म-2026-17-1002(002)/3/2022

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत पुरूष वर्ग हेतु धनराशि रू0 611.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-310/नि0शा0/ 2026-27 दिनांक 14.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वितीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-17, में पुरूष वर्ग हेतु धनराशि रू0 611.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पुरूष वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या- 17, लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें,3890, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा016 पुरुष लाभार्थी-60 के.), 3890-UP148, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत धनराशि रू0 611.25 लाख (रूपये छः करोड़ ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों</u>

(1) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) आंकडों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(6) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी

स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(7) वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/ 2026/ बी-1-812/ दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 611.25 लाख (रूपये छः करोड़ ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) को वितीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या- 17, लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें,3890, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा016 पुरुष लाभार्थी-60 के.), 3890-UP148, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वितत विभाग वितत विभाग के अशासकीय संख्या- E-1-11-X-2026-27-दिनांक:26-5-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 30 /2026 / 858(1) /सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

(4) उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(6) सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 27-05-2026
15:02:41

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।